ISSN-2348-4861

# Law and Society :

## A New Challenge

(International Journal of Law)

# भारतीय स्वाधीनता संग्राम में रजवाड़ों की भूमिका

डॉ. रणवीर सिंह ठाकुर
नवीन शास. महा. शाहगढ
राजनीति विज्ञान विभाग

19 वीं शताब्दी के मध्य तक ब्रिटिश सरकार ने भारत के अधिकतर रजवाड़ों के साथ संधि करके संबंध स्थापित कर लिए थे। अंग्रेजों की छत्रछाया में रजवाड़ों का आंतरिक प्रशासन वहां के शासकों (राजाओं) के ऊपर छोड़ दिया गया। ब्रिटिश सरकार के साथ संवाद बना रहे इसके लिए रेजीडेंसी की माध्यम के रूप में स्थापना की गई। सिद्धांत रूप में, शासकों को पूरे अधिकार प्राप्त थे लेकिन व्यवहार में वे ब्रिटिश रेजिडेंट के आदेशों के अनुसार चलते थे तथा आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार के ऊपर निर्भर थे। उत्तराधिकार संबंधी नीतियां भी रेजिडेंट के द्वारा निर्धारित की जाती थी।"[1]

अधिकतर राज्यों का शासन तानाशाही ढंग से चलाया जाता था। करों की ऊंची दरों के कारण लोगों पर आर्थिक बोझ काफी अधिक था। शिक्षा तथा सामाजिक सेवाएं अत्यंत पिछडी हुई थीं, तथा नागरिक अधिकार अत्यंत सीमित थे। राज्य का राजस्व शासकों की शाही जीवन शैली के ऊपर खर्च किया जाता था और चूंकि आंतरिक एवं बाहरी अतिक्रमण से ब्रिटिश उनको मुक्त रखते थे, इसलिए वे खुलकर अपनी जनता के हितों की अनदेखी करते थे।[2] ब्रिटिश सरकार रजवाड़ों से यह उम्मीद करती थी कि वे उसकी साम्राज्यवादी नीतियों का समर्थन करेंगे, इसलिए वे राष्ट्रवादी भावनाओं के उभार के खिलाफ काम करती थीं। इसलिए, अधिकतर राजे राष्ट्रवादी ताकतों को सदेह की नजर से देखते थे। मैसूर और बड़ोदा के राज्य इसके अपवाद थे जो राष्ट्रवादियों के प्रति सहानुभूति रखते थे तथा आंतरिक राजनीतिक सुधार को बढ़ावा देते थे।

ब्रिटिश भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरूआत का रजवाड़े के लोगों पर भी प्रभाव पड़ा। बहुत से राष्ट्रवादी क्रांतिकारी ब्रिटिश अधिकारियों से छिपकर 20 वीं शताब्दी के पहले और दूसरे दशक में इन रजवाड़ों में आये उन्होंने वहां राजनीतिक गतिविधियों की शुरूआत की।

असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन की शुरूआत ने ब्रिटिश भारत की सीमाओं में सभी भारतीय नागरिकों को उत्तेजना से भर दिया। मैसूर हैदराबाद, बडोदा, काठियावाड, जामनगर, इंदौर, नवानगर आदि रजवाड़ों में बड़ी तादाद में नागरिक संगठनों की स्थापना की गई।[3] दिसंबर 1927 में एक अखिल भारतीय राज्य नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें अलग–अलग राज्यों के करीब 700 लोगों ने हिस्सा लिया। बलवंत राय मेहता, मानिकलाल कोठारी तथा जी.आर अभ्यंकर ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला।

कांग्रेस ने पहली बार 1920 में नागपुर सत्र में रजवाड़ों के नागरिक आंदोलन को लेकर अपनी नीतियों की घोषणा की। इसने वहां के राजाओं से आग्रह किया कि वे अपने राज्यों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार का गठन करें। हालाकि, यह स्पष्ट किया गया कि उन रजवाडो के लोग कांग्रेस के नाम पर राजनीतिक गतिविधियों की शुरूआत नहीं कर सकते थे। वे स्थानीय प्रजा मंडल के सदस्य के रूप में राजीनतिक गतिविधियों को संचालित कर सकते थे। सन् 1935 तक यही हालात बने रहे यद्यपि राज्य जन सम्मेलन तथा कांग्रेस के नेताओं के बीच सहयोग धीरे–धीरे बढा। यह तय किया गया कि भारतीय रजवाड़ों में कांग्रेस समितियों का गठन किया जा सकता था लेकिन वे किसी तरह की असंसदीय गतिविधियों या सीधी कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते थे।[4] इस समझौते ने कांग्रेस तथा रजवाड़ों में चल रहे स्वाधीनता संघर्ष के बीच सामंजस्य बिठाने